

NHRC ने खाद्य विषिकृतता रपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पटना के एक आश्रय गृह में **भोजन विषिकृतता** के कारण लोगों की मौत के बारे में मीडिया रपोर्ट पर **स्वतः संज्ञान** लिया है। आश्रय गृह को बहिर सरकार के दवियांगजन सशक्तिकरण निदिशालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

मुख्य बिंदु

- मानवाधिकार उल्लंघन चित्ती:
 - NHRC ने कहा कि मीडिया रपोर्ट में पीड़ितों के संबंध में गंभीर **मानवाधिकार उल्लंघन** को उजागर किया गया है।
 - आश्रय गृह के अधिकारी वैध संरक्षक के रूप में वहां रहने वालों को उचित देखभाल प्रदान करने के लिये ज़मिमेदार हैं।
- बहिर सरकार को नोटसि:
 - NHRC ने बहिर के मुख्य सचिव को नोटसि जारी कर दो सप्ताह के भीतर वसितृत रपोर्ट मांगी है।
 - रपोर्ट में पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थितितथा यह जानकारी शामिल होनी चाहिये कि किया पीड़ितों या उनके परिवारों को कोई मुआवज़ा प्रदान किया गया है।
 - मुख्य सचिव को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्तरोकने के लिये उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में NHRC को सूचित करने के लिये भी कहा गया है।
- आश्रय गृह में अस्वच्छ स्थितियाँ:
 - एक मीडिया रपोर्ट के अनुसार, नरीकरण के दौरान अधिकारियों ने आश्रय गृह में अस्वास्थ्यकर प्रसिद्धियों का सामना किया।
 - रपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आश्रय गृह में भोजन तैयार करते समय उचित स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- परिचय:
 - यह व्यक्तियों के **जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरमि से संबंधित अधिकारों** की सुरक्षा सुनिश्चिति करता है।
 - भारतीय संवधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंवादियों द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जनिहें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- स्थापना:
 - 12 अक्टूबर, 1993 को **मानव अधिकार संरक्षण अधनियम (PHRA), 1993** के तहत स्थापित।
 - मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधनियम, 2019 द्वारा संशोधित।
 - मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए प्रेरणा सदिधार्तों के अनुरूप स्थापित।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्वित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- मामलों का स्वतः संज्ञान
- मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- 6 सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैशिष्ट्य

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति : वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024



Drishti IAS